

राजस्थान सरकार

कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग

कार्यालय

मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बायलर्स, राजस्थान, जयपुर
6-सी, सुरक्षा भवन, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन : 0141-2709659, 2709616, 2709897, 2710589
फैक्स : 0141-2709659

उद्देश्य

विभाग का मुख्य कार्य कारखाना अधिनियम 1948, भारतीय बॉयलर अधिनियम 1923 एवं वेतन भुगतान अधिनियम 1936 से सम्बन्धित नियमों एवं उप नियमों का राज्य में स्थित कारखानों के श्रमिकों की सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिये पालना करवाना है । इन नियमों के परिपालन द्वारा मुख्य रूप से औद्योगिक श्रमिकों को सुरक्षित कार्यस्थिति एवं कल्याणकारी सुविधाएँ उपलब्ध कराना है । कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के कार्य के घण्टे, सुरक्षा स्वास्थ्य वेतन आदि को विनियमित करना है । इसके अलावा इस विभाग द्वारा कानूनी प्रावधानों की अनुपालना में कारखाना मालिकों एवं कामगारों को तकनीकी सूचनायें उपलब्ध कराई जाती है एवं सामयिक सलाह भी दी जाती है । आवश्यकता होने पर राज्य सरकार को नियमों में संशोधन के सुझाव दिये जाते हैं ।

राज्य में स्थापित होने वाले नये उद्योगों को कारखाना अधिनियम 1948, भारतीय बायलर अधिनियम 1923 एवं इनके अंतर्गत बने नियमों के मुख्य प्रावधानों की जानकारी देने हेतु विभाग द्वारा एक निर्देशिका प्रकाशित की हुई है ताकि विभाग द्वारा जारी की जाने वाली स्वीकृतियाँ, अनुज्ञापत्रों, प्रमाण-पत्रों आदि प्राप्त करने में उद्यमियों को समुचित मार्गदर्शन मिल सके तथा स्वीकृतियाँ, अनुज्ञापत्र एवं प्रमाण पत्र त्वरित गति से जारी हो सकें ।

उद्यमियों की सुविधा हेतु विभाग के कार्य को विकेंद्रित किया हुआ है जिसके अन्तर्गत कारखानों के लाईसेंस नवीनीकरण व 150 से कम श्रमिकों तक नियोजित करने वाले गैर जोखिमपूर्ण कारखानों के कारखाना भवन के नक्शे अनुमोदन का कार्य उप मुख्य निरीक्षक के क्षेत्रीय कार्यालयों – जयपुर, जोधपुर, अलवर, कोटा एवं उदयपुर द्वारा किया जा रहा है ।

विभागीय संरचना

कारखाना एवं बायलर्स निरीक्षण विभाग के विभागाध्यक्ष मुख्य निरीक्षक है । विभाग द्वारा श्रमिकों के हितों के लिये कारखाना प्रबन्धन से कारखाना अधिनियम 1948, भारतीय बायलर अधिनियम 1923 एवं वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की पालना कराई जाती है । इस विभाग में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 202 पद सृजित है ।

मुख्य निरीक्षक के जयपुर स्थित मुख्यालय पर एक पद उपमुख्य, निरीक्षक तीन पद वरिष्ठ निरीक्षक व एक पद वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना (कैमीकल) व एक पद निरीक्षक कारखाना (मैडिकल) का है । एक – एक पद मुख्य विधि सहायक, सहायक लेखाधिकारी व निजी सचिव का भी है । जो सभी राजपत्रिक अधिकारी हैं ।

विभाग में औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला और सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र मुख्यालय परिसर में स्थापित है जो क्रमशः उप मुख्य निरीक्षक एवं उप निदेशक के अधीन संचालित है ।

श्रमिकों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही शीघ्र निस्तारण हो सके इस हेतु राज्य में 21 स्थानों पर विभाग के कार्यालय स्थापित है । राज्य के जयपुर, जोधपुर, अलवर, उदयपुर एवं कोटा मुख्यालयों पर उप मुख्य निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स के कार्यालय स्थापित है । इसी प्रकार अजमेर, पाली, श्रीगंगानगर, भिवाडी, भीलवाडा, चित्तौडगढ़, बीकानेर, बांसवाडा एवं मदनगंज– किशनगढ़ में वरिष्ठ निरीक्षक एवं बून्दी, भरतपुर, सीकर, हनुमानगढ़, बालोतरा, मकराना एवं सिरौही में निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स के कार्यालय संचालित है ।

मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना को विवरण में दर्शाया गया है।

रासायनिक कारखानों में जोखिमपूर्ण रसायनों से होने वाले दुष्प्रभावों को रोकने के लिये कारखानों का निरीक्षण एवं कारखाना प्रबन्धन को आवश्यक मार्गदर्शन करने हेतु विभाग में एक पद वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना (कैमीकल) जो कि रासायनिक इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त है, जयपुर मुख्यालय पर व एक पद निरीक्षक कारखाना (कैमीकल) कोटा में उपलब्ध है। श्रमिकों में व्यवसायजनित बीमारियों की समय पर जानकारी करने के लिए एवं इन पर निगरानी हेतु एक निरीक्षक कारखाना (मेडिकल) नियुक्त है।

विभाग के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ एवं प्रभावशाली रखने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को मुख्यालय के अधीन रखा गया है। सभी क्षेत्रीय अधिकारी अपने अधीन क्षेत्रों में कार्यों के नियन्त्रण सम्बन्धी अधिकार एवं दायित्व निर्वहन के लिये प्राधिकृत हैं।

विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

श्रम कानूनों की पालना

विभाग का मुख्य कार्य कारखाना अधिनियम, 1948, भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 एवं वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 एवं उनके अधीन बनाने गये नियमों / रेग्युलेशन्स से सम्बन्धित धाराओं, नियमों एवं उपनियमों के प्रावधानों की कारखानों में नियोजित श्रमिकों के स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कल्याण के लिये अनुपालना करवाना है।

विभाग द्वारा नये स्थापित होने वाले कारखानों का पंजीकरण किया जाता है तथा पंजीकृत निर्माणियों को प्रतिवर्ष अनुज्ञा-पत्र जारी किया जाता है जिसे प्रति वर्ष नवीनीकरण करवाना आवश्यक है। कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत उद्यमी यदि चाहे तो लाईसेंस का पाँच वर्ष तक के लिये एक साथ नवीनीकरण करवा सकता है। राज्य में वर्ष 2006 में 410 नये कारखानों का पंजीकरण किया गया है। इन कारखानों में लगभग 14525 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध हुआ है।

राज्य में कुल लगभग 10400 पंजीकृत कारखाने कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 409799 श्रमिक नियोजित हैं।

राज्य में संस्थापित कारखानों एवं बायलर्स की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये विभाग के अधिकारियों द्वारा इनका समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। विभाग के अधिकारियों द्वारा उक्त अधिनियमों के अर्न्तगत उक्त अवधि में कारखानों के कुल 9833 निरीक्षण किये गये हैं।

वर्ष 2006 में कारखाना अधिनियम एवं उसके तहत बने नियमों के उल्लंघन स्वरूप 54 प्रबन्धकों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में परिवाद दायर किये गये। पूर्व के वर्षों के विचाराधीन न्यायिक प्रकरणों में से 50 प्रकरण निर्णित हुए, जिनमें विभिन्न न्यायालयों द्वारा रूपये 345000/का जुर्माना किया गया।

राज्य में स्थापित दुर्घटना जोखिम सम्भावित कारखानों में काम आने वाले रसायनों के भण्डारण एवं प्रयोग तथा इनकी निर्माण प्रक्रियाओं से प्रमुख दुर्घटनाएं जैसे आग, विस्फोट एवं विषैली गैस रिसाव आदि हो सकती हैं। ऐसी सम्भावित दुर्घटनाओं को रोकने हेतु विभाग द्वारा इन कारखाना प्रबंधकों से आपात योजना तैयार करवाई जाती है, जिससे कारखाना परिसर एवं परिसर के बाहर होने वाले असर को नियंत्रित किया जा सके। इन आपात योजनाओं की समय समय पर 'मोक ड्रिल' करायी जाती है, जिससे कि संकट के समय कारखाना प्रबंधकों द्वारा प्रस्तावित सुरक्षा उपायों को किस प्रकार प्रयोग में लिया जाना है तथा संकट से कितना जल्दी निपटा जा सकता है, सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार के कारखानों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाकर सुरक्षा उपायों की समीक्षा की जाती है।

भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 के प्रावधानों की अनुपालनार्थ राज्य में लगने वाले सभी बॉयलरों का पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होता है। राज्य में वर्तमान में कुल 1608 पंजीकृत बॉयलर कार्यरत हैं। वर्ष 2006 में 74 नये बॉयलरों का पंजीकरण किया गया है। बॉयलर्स के सुरक्षित उपयोग के उद्देश्य से सभी बॉयलरों का विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण किया जाता है।

सुरक्षा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य प्रयोगशाला :-

कारखानों के निरीक्षण कार्य के अतिरिक्त विभाग द्वारा श्रमिकों के लिये दो कल्याणकारी योजनायें भी चलाई जा रही हैं, जिससे औद्योगिक श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के वर्तमान स्तर को श्रेष्ठ बनाने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके :-

सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र: औद्योगिक श्रमिकों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभाग द्वारा जयपुर में सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है, जिसमें कारखानों में कार्यरत कर्मकारों, सुपरवाइजर्स, सुरक्षा अधिकारियों, प्रबन्धकों एवं मालिकों को औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है। विभाग नवीनतम श्रव्य-दृश्य उपकरणों की सहायता से नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। सुरक्षा संग्रहालय में सुरक्षा सम्बन्धी मॉडल एवं पोस्टर प्रदर्शित किये हुये हैं। उक्त संग्रहालय में पुस्तकालय की भी स्थापना की हुई है, जिसमें सुरक्षा सम्बन्धी नवीनतम तकनीक की पुस्तकों का संकलन है।

सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा जयपुर में एवं अन्य औद्योगिक स्थानों पर सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं संगोष्ठियाँ आयोजित कर औद्योगिक सुरक्षा पर जानकारी दी जाती है। वर्ष 2006 में 48 सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं संगोष्ठियाँ आयोजित की गईं, जिनमें 1417 प्रशिक्षणार्थी लाभान्वित हुये।

सुरक्षा संग्रहालय एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने हेतु होस्टल भवन की भी व्यवस्था है।

औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला

राज्य में स्थापित उद्योगों में कार्य स्थल पर स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए तथा श्रमिकों के स्वास्थ्य में व्यवसायजनित बीमारियों की रोक-थाम हेतु विभाग में औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला की स्थापना की हुई है। इस प्रयोगशाला के माध्यम से राज्य में विभिन्न कारखानों में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायनों से श्रमिकों

के स्वास्थ्य पर पडने वाले दुष्प्रभावों को रोकने हेतु कार्य वातावरण का अध्ययन किया जाता है।

औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला द्वारा राज्य में स्थित विभिन्न रसायनिक कारखानों में रसायनों के दुष्प्रभावों को रोकने हेतु वर्ष 2006 में 239 कारखानों से 647 वायुगर्भित प्रदूषको के नमूने एकत्रित किये गये एवं विश्लेषण किया गया तथा जिन वायुगर्भित प्रदूषको के नमूनो को निर्धारित मापदण्ड से अधिक प्रदूषित पाया गया उन प्रदूषको को नियंत्रित करने के लिए कारखाना प्रबन्धकों को सुझाव दिये गये तथा निर्धारित मापदण्ड की सीमा में लाने हेतु कार्यवाही की गई ।